भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

परिपत्र / CIRCULAR

HO/(449)2026-ITD-5_DIV1/I/19448/2026 **24.08.2026**

प्रति,	**To,**
सभी ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड (एआईफ)	**All Alternative Investment Funds (AIFs)**
सभी बैंकर टू इश्यू और सेल्फ-सर्टिफाइड सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी)	**All Bankers to an Issue (BTI) and Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs)**
सभी क्लीयरिंग कारपोरेशन	**All Clearing Corporations**
सभी कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीमें (सीआईएस)	**All Collective Investment Schemes (CIS)**
सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (सीआरए)	**All Credit Rating Agencies (CRAs)**
सभी कस्टोडियन	**All Custodians**
सभी डिबेंचर ट्रस्टी (डीटी)	**All Debenture Trustees (DTs)**
सभी डिपॉज़िटरी	**All Depositories**
सभी डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीडीपी)	**All Designated Depository Participants (DDPs)**
सभी डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डिपॉज़िटरीज़ के जरिए)	**All Depository Participants through Depositories**
सभी निवेश सलाहकार (आईए) / अनुसंधान विश्लेषक (आरए)	**All Investment Advisors (IAs) / Research Analysts (RAs)**
सभी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियाँ (केआरए)	**All KYC Registration Agencies (KRAs)**
सभी मर्चेंट बैंकर (एमबी)	**All Merchant Bankers (MBs)**
सभी म्यूचुअल फंड (एमएफ) / असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ (एएमसी)	**All Mutual Funds (MFs)/ Asset Management Companies (AMCs)**
सभी पोर्टफोलियो प्रबंधक	**All Portfolio Managers**
सभी रजिस्ट्रार टू इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)	**All Registrar to an Issue and Share Transfer Agents (RTAs)**
सभी स्टॉक ब्रोकर (एक्सचेंजों के जरिए)	**All Stock Brokers through Exchanges**
सभी स्टॉक एक्सचेंज	**All Stock Exchanges**
सभी वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)	**All Venture Capital Funds (VCFs)**
BSE लिमिटेड (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइज़री बॉडी)	**BSE Limited (Investment Adviser Administration and supervisory body IAASB)**
BSE लिमिटेड (रिसर्च एनालिस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइज़री बॉडी)	**BSE Limited (Research Analysts Administration and supervisory body-RAASB)**

महोदय/महोदया,

विषय: **<u>साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी देने के लिए बनाए गए एक ही पोर्टल (साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल) के तहत फायर फॉर्मेट के अनुसार जानकारी देने की व्यवस्था करना</u>**

1. शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में तकनीक जिस तरह तेजी से अपने पैर पसार रही है, उसके साथ-साथ साइबर हमलों की घटनाओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और अलग-अलग पैंतरे अपनाकर इन घटनाओं को अंजाम भी दिया जाने लगा है । इस तरह पैदा हो रहे खतरों से समय रहते निपटने और शेयर बाजार की समूची व्यवस्था में सुरक्षा को और पुख्ता करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं की भनक लगते ही इनकी जानकारी दे दी जाए, ताकि इनकी वजह से हो सकने वाले नुकसान को कम किया जा सके और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से और पुख्ता इंतजाम किए जा सकें ।

2. सेबी ने पहले से ही सी.एस.सी.आर.एफ. के ढाँचे के ***Annexure-O (B: Guidelines on Handling Cybersecurity Incidents)*** में साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी देने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं, जिनके अनुसार सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली सभी एंटिटियों के लिए यह अनिवार्य किया हुआ है कि वे साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी 6 घंटों के भीतर इस ईमेल पर दें: mkt_incidents@sebi.gov.in और साथ ही 24 घंटों के भीतर सेबी के "इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल" पर दें ।

Sir/ Madam,

Subject: Alignment of SEBI's Cyber Incident Reporting Portal with FIRE format

1. With the rapid pace of technological developments in securities market, the frequency and sophistication of cyber incidents are also on the rise. To proactively address these evolving threats and ensure the security of securities market ecosystem, prompt reporting of these incidents are crucial to contain the attack, implement mitigation measures and strengthen defences.

2. SEBI has already prescribed guidelines for reporting of cyber incidents under ***Annexure-O (B: Guidelines on Handling Cybersecurity Incidents)*** of CSCRF framework, mandating that all regulated entities report cyber incident through mkt_incidents@sebi.gov.in within 6 hours and SEBI Incident Reporting Portal within 24 hours.

3. साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी देने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, सेबी ने अपने इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत फायर फॉर्मेट [जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफ.एस.बी.) द्वारा निर्धारित किया गया है] के अनुसार जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है । इस फॉर्मेट के तहत जानकारी देने की व्यवस्था और बेहतर हो गई है, क्योंकि अब एक ही जैसे फील्ड रखे गए हैं, एक ही जैसी परिभाषाएँ निर्धारित कर दी गई हैं, और साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी पहले जिस तरह दी जाती थी अब उसके लिए कुछ वर्ग निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे कि अब उनका वर्गीकरण भी सही हो गया है । इससे यह साफ पता चल पाएगा कि साइबर हमलों की घटनाएँ कहाँ-कहाँ हुईं और किस-किस देश में हुईं, ताकि आगे की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सके ।

3. In order to streamline the reporting of cyber incidents, SEBI has aligned its Incident Reporting Portal with **"Format for Incident Reporting Exchange (FIRE)"** Framework developed by Financial Stability Board (FSB). FIRE enables a structured incident reporting by defining common information fields, standardized definitions, and consistent classification of incident attributes promoting harmonisation across sectors or jurisdictions.

4. इस पोर्टल पर साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी अब हर स्तर पर देनी होगी । एक तो ठीक उसी समय, जिस समय किसी साइबर हमले की घटना की भनक मिले और फिर उसके बाद उस पर आगे जब-जब कुछ हो तब-तब भी जानकारी साझा करनी होगी, और तब तक साझा करते रहने होगी जब तक उसका हल न निकल जाए । यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि साइबर हमले की घटना की जिस समय भनक मिलती है, उस समय सब कुछ पहले से पता नहीं होता ।

4. The portal will facilitate reporting of incidents in stages to reflect incident life cycle from initial reporting to intermediate updates and final closure, while acknowledging that certain information may not be available at the time of initial reporting.

5. सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों के लिए यह जरूरी है कि वे साइबर हमलों की घटनाओं की जानकारी सेबी के "साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल" के जरिए (https://siportal.sebi.gov.in पर लॉगिन करके) दें । सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों के लिए यह

5. Regulated Entities (REs) shall report cyber incidents through the Cyber Incident Reporting Portal of SEBI which can be accessed by logging into https://siportal.sebi.gov.in. Regulated Entities are required to take necessary

जरूरी है कि वे इस परिपत्र (सर्कुलर) के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए हर जरूरी व्यवस्था करें । इसके लिए, संबंधित बाय-लॉज़, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स), यदि कोई हों, में जरूरी बदलाव भी किए जाएँ।

steps to put in place systems for implementation of the circular, including necessary amendments to the relevant bye-laws, rules and regulations, if any.

6. इस परिपत्र (सर्कुलर) के साथ-साथ सेबी के लागू परिपत्रों (सर्कुलर्स) पर [जिनमें साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने की क्षमता के ढाँचे के संबंध में जारी किए गए परिपत्र भी शामिल हैं] और सेबी द्वारा बाद में समय-समय पर किए जाने वाले अपडेट पर भी अवश्य गौर किया जाए ।

6. This circular should be read in conjunction with the applicable SEBI circulars (including but not limited to Cybersecurity and Cyber Resilience framework) and any subsequent updates issued by SEBI from time to time.

7. यह परिपत्र (सर्कुलर) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 11(1) [जो सिक्यूरिटीज़ मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने और सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करने से संबंधित है] के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ।

7. This circular is issued in exercise of powers conferred under Section 11 (1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market.

8. यह परिपत्र सक्षम प्राधर्कारी की मंजूरी से जारी किया जा रहा है ।

8. The circular is issued with the approval of competent authority.

9. यह परिपत्र सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर इन शीर्षकों के अंतर्गत दिया हुआ है: “कानूनी ढांचा - परिपत्र” ।

9. This circular is available on SEBI website at www.sebi.gov.in under the category: ‘Legal → Circulars’.

भवदीया Yours Faithfully,
ममता रॉय Mamata Roy
उप महाप्रबंधक Deputy General Manager
दूरभाष / Phone: 022-26449599
ईमेल / Email: mamtar@sebi.gov.in